डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 455/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. भीमराज पुत्र लिछमन राम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र बृज दास जाति स्वामी निवासी दुलचासर तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर।
3. बलराम पुत्र मुखराम जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. श्योपत पुत्र मामराज जाति स्वामी निवासी ढाणी माहेला तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. खातून पुत्री बली पत्नि काशम खां जाति मुसलमान निवासी दुलचासर हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।
2. राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–वादीगण
श्री श्रवण वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 28/8/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के खाता संख्या 405 के खसरा नम्बर 224 की 8.5733 हैक्टैयर में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 42867/857330 हिस्सा यानि 0.42867 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी सं. 1 भीमराज पुत्र लिछमन राम को 0.04286 हैक्टेयर व वादी सं. 2 विनोद कुमार पुत्र बृजदास को 0.08573 हैक्टेयर व वादी सं. 3 बलराम पुत्र मुखराम को 0.08573 हैक्टेयर व वादी सं. 4 श्योपत पुत्र मामराज को 0.21435 हैक्टेयर जरिये बैयनामा खरीद शुदा कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेंष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/8/2025 ..... को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.08.29 16:15:18 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर